

वन विभाग हरियाणा

कार्यालय : उप वन संरक्षक, कैथल वन मण्डल, कैथल

फायर ब्रिगेड के सामने, नजदीक पेहवा चौक, कैथल-136027, फोन व फैक्स-01746-228095

E-mail -dfoktl@rediffmail.com

क्रमांक :- 1292

दिनांक :- 21/10/23

सेवा में,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (एफ0सी0ए0),  
हरियाणा, अम्बाला।

विषय :-

**Diversion of 0.003374 Ha. of Forest Land for access to Rice Milling & Trading of Food Grains etc. under the name and Style of M/s Siddhi Vinayak Foods on Kaithal Road, Km. stone 4-5 at Vill. Chandana, in Distt. Kaithal, under Forest Division & Distt. Kaithal, Haryana.(FP/HR/APP/140339/2021)**

सन्दर्भ :-

आपका पत्र क्रमांक प्रशा-डी-तीन-10319/71 दिनांक 11.04.2022 की अनुपालना में।

—000—

उपरोक्त संदर्भांकित पत्र के माध्यम से लगाई गई त्रुटियों को ऑनलाईन पोर्टल पर अपडेट करके रिपोर्ट आपकी सेवा में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित प्रकार से भेजी जाती है :-

1. ठीक के0एम0एल0 फाईल डी0जी0पी0एस0 मैप सहित ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त CA Scheme को नये कोस्ट नार्मस अनुसार Revised कर दिया गया है व पोर्टल पर भी अपलोड कर दिया गया है।
2. ऑनलाईन पोर्टल पार्ट-1 में Total Period 99 years User Agecny द्वारा दुरुस्त कर दिया गया है।

<sup>Pak</sup>  
उप वन संरक्षक,  
कैथल।

9/10  
21/10/23

21/10/23

क्रमांक :- 1293

दिनांक :- 31/10/23

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक, उत्तरी परि०,  
हरियाणा, अम्बाला।

विषय :-

**Diversion of 0.003374 Ha. of Forest Land for access to Rice Milling & Trading of Food Grains etc. under the name and Style of M/s Siddhi Vinayak Foods on Kaithal Road, Km. stone 4-5 at Vill. Chandana, in Distt. Kaithal, under Forest Division & Distt. Kaithal, Haryana.**

:-

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में Sarthak Bansal, Partner M/s Siddhi Vinayak Foods द्वारा **Diversion of 0.003374 Ha. of Forest Land for access to Rice Milling & Trading of Food Grains etc. under the name and Style of M/s Siddhi Vinayak Foods on Kaithal Road, Km. stone 4-5 at Vill. Chandana, in Distt. Kaithal, under Forest Division & Distt. Kaithal, Haryana** के प्रयोग हेतु इस केस में 0.003374 हेक्टेयर वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत जो प्रस्ताव इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। इस केस की औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रस्ताव आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

इस प्रस्ताव में यूजर एजैन्सी द्वारा नैट प्रजैन्ट वैल्यू आफ लैण्ड की राशि 3232/-रु०, क्षतिपूर्ति पौधारोपण हेतु 39,676/-रु० तथा 20 प्रतिशत ओवर हैड में राशि 7935/-रु० व बाधक वृक्षों की कटाई का खर्च 0/-रु० तथा नष्ट पौधारोपण पर खर्च राशि 0/-रु०, 0/-रु० सहित कुल 50,843/-रु० जमा करवाई जायेगी। क्षतिपूर्ति पौधारोपण Shergarh Minor RD 36-45 R/Side पर करवाया जाएगा। प्रस्तावित स्थल के पास कोई प्रतिबन्धित वन्य क्षेत्र नहीं है। प्रस्ताव को वन संरक्षक केंद्रिय भारत सरकार की वेब साईट पर ऑन लाईन कर दिया गया है। प्रस्ताव स्वीकृति हेतु आपकी सेवा में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।  
संलग्न/उपरोक्त।

पू० क्रमांक :- 1294-45  
एक प्रति :-

दिनांक :- 31/10/23

उप वन संरक्षक,  
कैथल।  
27/10/23

1. Sarthak Bansal, Partner M/s Siddhi Vinayak Foods, Chandana Road, Village Chandana, Mob. 94168-23189 को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. वन राजिक अधिकारी, कैथल को उनके पत्र क्रमांक 996 दिनांक 06/01/2022 के संदर्भ में भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि भारत सरकार से केस स्वीकृत होने तक प्रभावित वन क्षेत्र में कोई कार्य न करने दिया जाए।

इसके अतिरिक्त आपको यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त प्रस्ताव में आपकी रेंज की Shergarh Minor RD 36-45 R/Side सी०ए० साईट पौधारोपण हेतु प्रस्तावित की गई है, जिसमें 100 पौधे 0.1 है० में लगाए जाएंगे। अतः उक्त साईट पौधारोपण के लिए रिजर्व रख ली जाए।

उप वन संरक्षक,  
कैथल।  
27/10/23